

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 406/2007

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर।

— अपीलार्थी

बनाम

1. माधुरीसिंह बेवा इन्द्रजीत सिंह जाति राजपूत निवासी 29 जी बी शिवपुरी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. दलीपसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह जात जटसिख निवासी 5 एम के तहसील रायसिंहनगर मृतक

2/1 मुखत्यारकौर पत्नी दलीपसिंह

2/2 डुंगरसिंह

2/3 नाजरसिंह

2/4 सौदागरसिंह

2/5 परमजीतसिंह

2/6 नसीबकौर

2/7 सुखजिन्द्रकौर

पिसरान दलीपसिंह

जाति जटसिख निवासीगण

5 एम के तहसील रायसिंहनगर

जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

(2) अपील संख्या 187/2012

1. रणवीर विक्रम सिंह

2. अजीत विक्रम सिंह


पिसरान विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी

29 जी बी जरिये मुखत्यार आम माधुरी सिंह बेवा इन्द्रजीत सिंह जाति राजपूत निवासी 29 जी बी तह. श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. मुखत्यारकौर पत्नी दलीपसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह


राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2. डूंगरसिंह
 3. नाजरसिंह
 4. सौदागरसिंह
 5. परमजीतसिंह
 6. नसीबकौर
 7. सुखजिन्द्रकौर
 8. स्टेट ऑफ राजस्थान।
- पिसरान दलीपसिंह } जाति जटसिख निवासी 6 टी के
तह. रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)

—रेस्पोडेन्ट्स


(3) अपील संख्या 4/2013

1. जितेन्द्र झंवर पुत्र लालचन्द झंवर जाति महेश्वरी निवासी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. अमित पुत्र राधेश्याम झंवर जाति महेश्वरी निवासी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. अशोक कुमार पुत्र वृजगोपाल जाति पेडिवाल निवासी श्रीविजयनगर जरिये मुखत्यार आम अपीलांट संख्या 2, 3 जितेन्द्र झंवर पुत्र लालचन्द झंवर जाति महेश्वरी निवासी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
 2. डूंगर सिंह
 3. नाजर सिंह
 4. सौदागरसिंह
 5. परमजीत सिंह
 6. नसीब कौर
 7. सुखजिन्द्र कौर
- पिसरान दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 टी के
तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।


राजस्थान अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



8. मुख्त्यार कौर बेवा दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

(4) अपील संख्या 195/2012

जगदीश पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी चक 5 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर जरिये मुख्त्यार आम जितेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द्र झंवर जाति महेश्वरी निवासी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. विजय कुमार पुत्र दर्शना कुमारी पत्नी शम्भुनाथ जाति खत्री निवासी चक 74 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुनीता रानी पुत्री दर्शना कुमारी पत्नी शम्भुनाथ जाति खत्री निवासी चक 74 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. रणवीर विक्रम सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी शिवपुरी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. अजीत विक्रम सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी शिवपुरी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स


(6) अपील संख्या 112/13

दलीप कुमार पुत्र श्री बुधराम जाति धानक निवासी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर।


26/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



2. डूंगर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र गुरबकश सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एच. डी.पी. कानेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. नाजर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र गुरबकश सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एच. डी.पी. कानेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सौदागर सिंह (मृतक) पत्नी ने परमजीत सिंह की चुड़ी पहन ली।
5. परमजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 1 गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. नसीब कौर उर्फ जानीबा कौर पुत्री दलीप सिंह पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी झोटावाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. सुखजिन्द्र कौर पुत्री दलीप सिंह जाति जटसिख (सुखजिन्द्र कौर उर्फ हरबंस कौर) निवासी राववाला तहसील बजु जिला बीकानेर।
8. मुख्त्यार कौर बेवा दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एच.डी.पी. कानेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू-रा.अधि. 1956

विरुद्ध आदेश अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ़ दिनांक 06.12.2003

एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त श्रीविजयनगर दिनांक 30.05.1977

उपस्थिति:-

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

श्री जगमोहन आहुजा, अभिभाषक अपीलांत अपील संख्या 187/12

श्री रविन्द्र बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांत अपील संख्या 4/13 एवं 195/12


श्री राजीव जग्गा, अभिभाषक अपीलांत अपील संख्या 112/13

श्री सोहन लाल जोशी एवं श्री हेतराम बिश्नोई अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक :- 26.12.2017

अपीलांत द्वारा अपील संख्या 406/2007, 187/2012, 4/2013 अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 06.12.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उक्त


रविन्द्र बिश्नोई प्राधिकारी
श्रीमंगलनगर (राज)


आदेश के द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ़ ने चक 1 एस.बी.एस.एम. (बी) के पत्थर नम्बर 184/411 की 12:10 बीघा भूमि का आवंटन दलीप सिंह के हक में बहाल किया गया है। इसी प्रकार अपील संख्या 112/2013 एवं 195/2012 सहायक उपनिवेशन आयुक्त श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 30.05.1977 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के द्वारा दर्शना कुमारी को 15.10 बीघा कीमतन व 2.10 बीघा भूमि स्माल पेच में आवंटन की गई है। उपरोक्त सभी अपीलों में तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने से एवं प्रकरण एक दूसरे से सम्बन्धित होने से तथा उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से उक्त पांचों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जाती है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपील संख्या 4/2013, 406/2007, 187/2012 के विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रकरण पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश की पालना किये बिना ही आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील संख्या 4/2013 में अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील पेश करने की अनुमति का निवेदन किया।

अपील संख्या 4/2013, 406/2007, 187/2012 आदेश दिनांक 06.12.2003 के विरुद्ध क्रमशः दिनांक 11.01.2013, 27.10.2007, 27.04.2006 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपीलें पेश कर दी। अतः अपीलों पेश करने में हुए


26/12/17
राजस्थान अपील प्राधिकारी
श्रीभंगानगर (राज.)



विलम्ब को माफ करते हुए अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलें स्वीकार की जावे।


अपील संख्या 112/2013, 195/2012 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि को अपीलांट को बिना सुने रेस्पोंडेन्ट को अलॉट की है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया। अपील संख्या 112/2013 को पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपील संख्या 112/2013, 195/2012 आदेश दिनांक 30.05.1977 के विरुद्ध क्रमशः दिनांक 03.06.2013 व 18.12.2012 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जो स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उचित है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय तक चाराजोही की है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट का अपीलों में कोई हित नहीं है। अतः अपीलें खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील संख्या 4/2013 व 112/2013 में अपीलांट ने अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील संख्या 4/2013, 406/2007, 187/2012 आदेश दिनांक 06.12.2003 के विरुद्ध क्रमशः दिनांक 11.01.2013, 27.10.2007, 27.04.2006 एवं


26/12/17
राजस्व अपील प्रधिकारी
श्रीमंगलना (राज)




अपील संख्या 112/2013, 195/2012 आदेश दिनांक 30.05.1977 के विरुद्ध क्रमशः दिनांक 03.06.2013 व 18.12.2012 को पेश की है जिसके लिए अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील संख्या 4/2013 जितेन्द्र झंवर बनाम सरकार अपील संख्या 406/2007 सरकार बनाम श्रीमती माधुरीसिंह, अपील संख्या 187/2012 रणवीरसिंह बनाम मुख्त्यारकौर, अपील संख्या 195/2012 जगदीश बनाम सरकार अपील संख्या 112/2013 दलीपकुमार बनाम सरकार सभी एक दूसरे से सम्बन्धित होने से सभी को इक्जाई करके निर्णय किया जा रहा है।

अपील संख्या 4/2013, 406/2007 व 187/2012 तीनों ही अपीले अधी. न्यायालय अति.कलक्टर सूरतगढ के एक ही निर्णय दिनांक 6.12.2003 के विरुद्ध पेश की गई है, जबकि अपील संख्या 195/2012 व 112/2013 अधी.न्यायालय आवंटन अधिकारी श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 30.05.1977 के विरुद्ध पेश की है। पांचों ही अपीलों की विवादित आराजी तहसील श्रीविजयनगर के ग्राम 29 जीबी.ए प.न. 184/411 मु.न. 32 के कि.न. 1 से 10 व 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 कुल किला नम्बरान 15 के 3.1620 है० भूमि वर्तमान जमाबंदी में रणवीरसिंह, विक्रमसिंह, अजीत विक्रमसिंह पि. विरेन्द्रसिंह कौम राजपूत साकिन देह के नाम दर्ज है व मु.न. 24 प.न. 187/410 कि.न. 2 से 7 वह भी उपरोक्त खातेदारान के नाम दर्ज है।

अपील संख्या 4/2013, 406/2007 व 187/2012 में विवाद का बिन्दु है कि प. न. 184/411 के मु.न. 32 की आराजी पुनः उपनिवेशन विभाग ने आराजी राज मानते हुए सूरतगढ शाखा के चक 1 एस.वी.एस.एम. 1 मानते हुए मु.न. 28 के कि.न. 1 से 21 के रूप में होकर दलीपसिंह वल्द गुरुबक्शसिंह कौम जटसिख टीसी से पुख्ता आवंटन के रूप में दर्ज रेकार्ड राज है, जो इस न्यायालय के


26/12/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीमंगलपुर (राज.)


निर्णय दिनांक 16.03.1999 में अपील इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई थी कि रणवीरसिंह, विक्रमसिंह आदि की खातेदारी भूमि एवं दलीपसिंह व जगदीश पुत्र मनफूलराम व दलीपकुमार को आवंटित भूमि एक ही भूमि या अलग-अलग जांच की जानी अपेक्षित थी जो अधीन न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 6.12.2003 में विवेचित किया है कि यह भूमि पूर्व में सीलिंग से अधिक होने के कारण रिज्यूम कर ली गई। तत्पश्चात भूमिहीनों में अलोट कर दी गई। रकबा राज का आवंटन किया गया है। आवंटन में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। माधुरी सिंह वगैरह ने कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया न ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिससे उसके कथनों पर विश्वास किया जा सके। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि चक 1 एस.वी.एस.एम. (बी) प.नं. 184/411 की 12.10 बीघा भूमि मुताबिक रिकार्ड दलीपसिंह पुत्र गुरवकशसिंह को पुख्ता अलाट है। अतः रिमाण्ड प्रकरण में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि दलीपसिंह को किया गया आवंटन दिनांक 30.05.1977 रकबा राज दर्ज का किया गया है। यदि इस भूमि से सम्बन्धित पक्षकारों के हक में उच्चतर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश न हो तो दलीपसिंह के हक में किया गया आवंटन 30.05.1977 बहाल रखा जाता है। परन्तु सीलिंग में अधिग्रहण होना दर्शाकर दलीपसिंह के आवंटन का बहाल किया है जबकि पत्रावली पर सीलिंग प्रकरण व उससे सम्बन्धित कोई proceeding या नामन्तरण के इन्द्राज या सन्दर्भ पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दौराने बहस अपीलांत अभिभाषक द्वारा तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर का पत्र क्रमांक 49 दिनांक 18.05.2007 की छाया प्रति पेश की जो उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर को सम्बोधित है में जाहिर किया कि चक 29 जी.बी. ए की भूमि को कभी भी सीलिंग अधिग्रहित भूमि में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही निर्णय दिनांक 6.12.2003 में एक तरफ यह विवेचित करना कि आवंटित भूमि व खातेदारी भूमि एक ही भूमि है वही राजस्व रेकार्ड में दोहरा अंकित उपलब्ध है यथा खातेदारी भूमि व आवंटित भूमि जो स्पष्ट रूप से रेकार्ड लेखन की त्रुटि है जिसे साबित करने के लिए अपीलांत अभिभाषक द्वारा कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन विभाग बीकानेर के



[Handwritten Signature]
26/12/13
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीमंगलपुर (राज.)

पत्र क्रमांक प.5(ब).उपनि./2012/बी. दिनांक 2.09.2013 की छाया प्रति पेश की जिसमें श्रीमान आयुक्त उपनिवेशन ने राज्य सरकार को मेजी रिपोर्ट में यह तथ्यात्मक टिप्पणी भेजी है कि विभाग द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में जानकारी लेने पर पाया गया कि चक 29 जी.बी. कभी भी उपनिवेशन क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। लेकिन तत्समय की उपनिवेशन तहसील श्रीविजयनगर द्वारा चक 29 जी.बी. के 24 मुरब्बों की भूमि को चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) में शामिल कर दिया। जब चक 29 जी.बी. कभी उपनिवेशन क्षेत्र घोषित नहीं हुआ तो इस चक की भूमि चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) में शामिल कर रिकार्ड हस्तांतरित करना प्रथम दृष्टया नियम विरुद्ध है। उपनिवेशन क्षेत्र का रिकार्ड तैयारी के लिये एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होता है जैसे उपनिवेशन क्षेत्र की घोषणा उपनिवेशन सर्वे सिंचाई विभाग के कवरशीट प्राप्त कर चकों का रिकार्ड तैयार करना तथा सूची नं. 5 से 8 तैयार करना आदि। प्रथम दृष्टया प्रकरण चक 29 जी.बी.(बी) की 24 मुरब्बा भूमि को चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) में आराजी राज के बतौर शामिल करने का प्रकट होता है तथा उक्त भूमि चक 29 जी.बी.(बी) तथा चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) दोनों तरफ दर्ज है। इस तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि एक ही 29 जी.बी व 1 एस.वी.एस.एम. के रेकार्ड में दर्ज की गई है जिसमें एक entry delete योग्य है तथा 1 एस.वी.एस.एम. की भूमि पर आवंटियों का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा रेकार्ड से साबित है। अतः आवंटियों का आवंटन मात्र पेपर आवंटन ही है जो मौके पर कब्जे के अभाव में रा.का.अ. की धारा 63(iv) के तहत आवंटियों के खातेदारी अधिकार Extinguish हो चुके हैं। साथ ही अपील सं. 4/2013, 406/2007, 187/2012 की विवादित भूमि की किस्म गैरमुमकिन आबादी दर्ज है जो आवंटन योग्य नहीं है। अपीलांत अभिभाषक द्वारा दौराने बहस इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में सिविल रिट याचिका 280/1986 इन्द्रजीत सिंह वगैरा बनाम राज्य सरकार में निर्णय दिनांक 18.11.1996 की छाया प्रति पेश की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किये हैं कि Heard, the learned counsel for the parties. The petitioners have challenged in this petition the allotment orders passed by





26/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीमंगलनगर (राज)

respondent No. 3 in favour of respondents No. 5 to 17 on the ground that the said land belonged to them. It is not in dispute that appeal against the order passed by the respondent No. 3 at annexure-4 to 14 lies before Colonisation Commissioner. Instead of filing tilt appeal, the petitioners have directly file this petition in 1986 which was admitted and is pending till today. Since thrtr is a statutory remedy of appeal the petitioners ought to have filed the appeal before the appellate authority as provided U/R 23 of the Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in Indhira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975. Instead of that, they have filed this prtition. Therefore, the petitioners are directed to file appeal before the appellate authority colonisation Commissioner within 3 months from today with an application for condoning delay in filing the appeal late. The appellate authority after condoning the delay will decide the appeal on merits in accordance with law within 6 months therefor The stay granted earlier to continue till then. With there observations and directions, this petition is disposed of.

अपीलांट अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि ग्राम 29 जी.बी.ए की ज़माबंदी सम्वत् 2069-2072 के खाता संख्या 102/85 में जो नोट अंकित है कि रिट याचिका 280/1986 दिनांक 18.11.1996 खारिज हुई है सही नहीं है यह dispose of की गई है जो किसी भी रूप में खारिज नहीं है तथा इसी रिट DB Civil special अपील नं० 408/1998 निर्णय दिनांक 29.04.2008 में अपील Not press में खारिज हुई है जैसा कि आदेश में अंकित किया है कि Learned counsel for the appellants submits that be has no instructions to press the appeal. This appeal is dismissed as not pressed. अतः यह नोट भी अपीलांट के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता।


अपीलांट अभिभाषक द्वारा सिविल रिट संख्या 280/1986 निर्णय दिनांक 18.11.1996 की क्रियान्वति हेतु कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर की पत्रावली प 5(ब)उपनिवेशन (उपनि.2012/बी के पैरा संख्या 37 की सन्दर्भ छाया प्रति पेश की जिसमें आयुक्त उपनिवेशन एवं अन्य उपनिवेशन अधिकारियों की शक्तियां


26/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीभगान्मर (राज)

श्रीगंगानगर के कलेक्टर, उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार को दी है। अतः रेकार्ड में संशोधन वही से हो सकता है। साथ ही अपीलांत अभिभाषक द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 5 को उद्धरत कर जाहिर किया कि वर्तमान में अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में होगी। सन्दर्भ धारा 5 (3) की Bare-reading है कि Appeal to Revenue Appellate Authority. - Section 5 of the Rajasthan Colonisation Act provides "except as otherwise provided in this Act", the laws relating to agricultural tenancies, the power, duties, jurisdiction and procedure of revenue courts etc. shall be applicable to the tenancies held and the proceedings conducted under the Rajasthan Colonisation Act. So against the order of Collector cancelling the allotment under Section 11/14 of the Colonisation Act, the first appeal shall lie to the Revenue Appellate Authority and against the order of the Revenue Appellate Authority passed in appeal, the second appeal shall lie to the Board of Revenue.

अतः रिट याचिका में दिये गये निर्देशों में अपील का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को होकर अनुतोष की अपील की है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांत द्वारा दौराने बहस फार्म संख्या 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्बन्ध में रेस्पो. द्वारा आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः दस्तावेज अपील में पढ़ने योग्य होकर पत्रावली पर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपील के proper निर्णय हेतु दो steps निर्धारित किया जाना उचित है। प्रथम दोहरे इन्द्राजात पर विनिश्चय दूसरा विवादित आराजी के कंताओं के अनुतोष पर निर्णय। यह रेकार्ड से सावित है कि ग्राम 29 जी.बी.ए के खाता संख्या 102/85 खातेदार रणवीर विक्रमसिंह, अजीत विक्रमसिंह पि. विरेन्द्रसिंह के नाम दर्ज भूमि व ग्राम 1 एस.बी.एस.एम. बी के खाता संख्या 64/45 दलीपसिंह व गुरुबक्शसिंह व अन्य आवंटियों दर्शना कुमारी बेवा शम्भूनाथ आदि के आवंटित भूमि एक ही भूमि


26/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)






है जैसा कि आयुक्त उपनिवेशन द्वारा राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट क्रमांक पत्र क्रमांक प.5(ब).उपनि./2012/बी. 4324-26 दिनांक 2.09.2013 के अनुसार विभाग द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में जानकारी लेने पर पाया गया कि चक 29 जी.बी. कभी भी उपनिवेशन क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। लेकिन तत्समय की उपनिवेशन तहसील श्रीविजयनगर द्वारा चक 29 जी.बी. के 24 मुखबों की भूमि को चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) में शामिल कर दिया। जब चक 29 जी.बी. कभी उपनिवेशन क्षेत्र घोषित नहीं हुआ तो इस चक की भूमि चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) में शामिल कर रिकार्ड हस्तांतरित करना प्रथम दृष्टया नियम विरुद्ध है। उपनिवेशन क्षेत्र का रिकार्ड तैयारी के लिये एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होता है जैसे उपनिवेशन क्षेत्र की घोषणा उपनिवेशन सर्वे सिंचाई विभाग के कवरशीट प्राप्त कर चकों का रिकार्ड तैयार करना तथा सूची नं. 5 से 8 तैयार करना आदि। प्रथम दृष्टया प्रकरण चक 29 जी.बी.(बी) की 24 मुखबा भूमि को चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) में आराजी राज के बतौर शामिल करने का प्रकट होता है तथा उक्त भूमि चक 29 जी.बी.(बी) तथा चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) दोनों तरफ दर्ज है। इस तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार ग्राम 1 एस.वी.एस.एम. के दोहरे इन्द्राजात के अंकन विलोपन योग्य है तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट दिनांक 18.05.2007 के अनुसार विवादित भूमि सीलिंग सीमा में अधिग्रहित नहीं हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्राम 29 जी.बी.ए का खाता 102/85 विशुद्ध खाते में दर्ज खातेदारों की आराजी खाता खातेदारान है। इस विनिश्चय के साथ जमाबन्दी में अंकित नोट सं. 9 नि.दि. 29.10.2012 उपनिवेशन विभाग द्वारा यह भूमि चक 1 एस.वी.एस.एम. बी में रकबा राज के रूप में दर्ज की गई है इसके विरुद्ध याचिका नं. 280/1986 दि. 18.11. 1996 को तथा अपील 408/1998 दि. 29.08.2004 को खारिज हो चुकी है। विलोपन के आदेश दिये जाते हैं। अपील सं. 04/2013, 195/2012, 112/2013 के अपीलांट तथा अपील सं. 4/2013, 195/2012, 112/2013 के अपीलांट विवादित आराजी को जरिये बेचान दस्तावेज कय की है तथा दस्तावेजों का पंजीयन विधिवत उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन हुआ है जो पंजीयन से पूर्व

(Signature)
26/12/13
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीमंगलनगर (राज.)

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा यह आज्ञापक निर्देश दिये हैं कि पंजीयन किये जाने वाली सम्पत्ति में कोई राजकीय हित नहीं है अगर है तो उप पंजीयक पंजीयन से मना करेगा। अतः यह presume किया जा सकता है कि उप पंजीयक द्वारा टाईटल देखकर ही दस्तावेज पंजीयन किये हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील सं. 4/2013, 195/2012, 112/2013, 187/2012 स्वीकार की जाती है तथा इससे सम्बन्धित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाते हैं। अपील सं. 406/2007 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रेमराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

